63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी- 9065 - I 16

विविध प्र0क0

शिवदास आत्मज दीना गौंड
उम्र 55 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी सा. खेरी वार्ड नं. 10
शहपुर तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह
उम्र 32 वर्ष व्यवसाय कृषि
सा. खैरी वार्ड नं. 10 शहपुरा
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र.

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- अनावेदकगण

दिनांक 2-9-16 को श्री चतुर्वेदी अभि0 द्वारा प्रस्तुत 2-9-16

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 761–एक/16 में पारित आदेश दिनाक 4–3–16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 4 में वृद्धि बावत)

02/09/16

मान्यवर

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 761–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4–3–16 द्वारा शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 4 के अनुसार आवेदक को 3 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

3. यहकि, आवेदक शहर से दूर गांव में निवास करते हैं और अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में विकयपत्र निष्पाति नहीं करा पाए हैं ।

अतः निवेदन है कि आवेदक को 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु न्यायहित में प्रदान करने का कष्ट करें ।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 02 सितम्बर, 16

निवेदक,

आवेदक – द्वारा अधिवक्ता

<u>शिवदास विरूद्ध शैलेन्द्र सिंह आदि</u>

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक विविध 9065–एक/16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी को सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 761–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4–3–16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 4 के अनुसार 4 माह की अवधि मे भूमि के विकयपत्र का निष्पादन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक शहर से दूर गांव में निवास करती हैं इस कारण एवं अपनी अन्य व्यक्तिगत परेशानियो के कारण वे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई उक्त अवधि में विकयपत्र निष्पादित नहीं करा पाये हैं और इस कारण इस न्यायालय द्वारा विकयपत्र निष्पादन हेतु दी गई समयसीमा 4–7–16 को समाप्त हो गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा 4 माह का समय विकयपत्र का पंजीयन कराने हतु दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उपस्थित शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 761–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4–3–16 में दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है । यदि उक्त अवधि में आवेदक द्वारा विकयपत्र का निष्पादन नहीं कराया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा आवेदकों को आदेश दिनांक 4–3–16 द्वारा दी गई विकय की अनुमति समाप्त मानी जायेगी । उक्त निर्देश यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	D. K. Shukla 05.9.16